Sl. No.	Purpose
3.	Publish religious books & literature
4.	Publish non-religious books and literature
5.	Construction/extension of rel. places
6.	Help poor, aged and destitutes
7.	Seminars and conferences
8.	Religious education of priests
9.	Religious functions
10.	Non-religious functions
11.	Construction/Maintenance of Hostels
12.	Construction/Maint. of Schools/Colleges
13.	Agricultural activities
14.	Animal Husbandary
15	Rural development
16.	Technical education
17.	Research
18.	Stipends & Scholarships
19.	Vocational training
20.	Health care & family planning
21.	Relief for natural calamities
22.	Relief for Riot victims
23.	Other than the above

देश में विदेशी राष्ट्रिक

3624. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अवैध रूप से बसने वाले विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से कितने विदेशी राष्ट्रिकों को अपने-अपने देश वापस लौटने के आदेश दे दिये गये हैं;

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ङ) क्या ऐसे व्यक्तियों को मताधिकार और राशन तथा आवास की अन्य सुविधाएं दी गई हैं; और

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) यह निश्चित

रूप से कहना संभव नहीं हैं कि भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या बढ़ रही हैं। परन्तु इस संभावना की अनदेखी नहीं की जा सकती हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, विभिन्न राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही हैं तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) सरकार, स्थिति की निरन्तर पुनरीक्षा कर रही हैं तथा अवैध रूप से घुसपैठ करने और ठहरने की समस्या से निपटने के लिए, समय समय पर उपाए किए हैं। किए जा चुके उपायों में, अतिरिक्त सीमा चौकियां स्थापित करना अधिक निगरानी बुर्जो का निर्माण करना, सीमा पर गश्त तेज करना, घुसपैठियों का पता लगाने के काम पर अधिक जोर देना, इत्यादि शामिल हैं।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

(च) सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षत्रों प्रशासनों को ऐसे विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उनको वापस भेजने के लिए विशेष और गहन अभियान चलाने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

सीमा पर गैर-कानूनी घुसपैठ और व्यापार

3625. **सरदार जगजीत सिह अरोड़ा :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 फरवरी, 1992 के "संडे मेल" में प्रकाशित "बंगाल टोल्ड टू कर्ब लाइसेंस इश्यू 15 कि० मी० फ्राम बार्डर" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने सीमा पर गैर-कानूनी घुसपैठ और व्यापार को रोकने के लिए कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में बड़े पैमाने पर घुसपैठ और अवैध व्यापार जारी है और विभिन्न शहरों विशेष रूप से दिल्ली में इन अवैध घुसपैठियों के आपराधिक क्रियाकलापों के समाचार प्राप्त हो रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश की सीमाओं पर पांच से दस किलो-मीटर के दायरे में प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा पट्टी का उपबंध न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमन।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान। उपायों में, गश्त और नाकाओं की संख्या में वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ निगरानी बुर्जों का निर्माण करना, बेहतर निगरानी और कड़ी सतर्कता के लिए सीमा पर तैनात कार्मिकों के लिए नाईट विजन डिवाइस, टूरबीन, हाथ में पकड़ी जाने वाला टार्च इत्यादि की आपूर्ति करना, नदी तटीय क्षेत्रों सहित सीमा पर, गशत गहन करना, सीमा पर सुरक्षा के लिए बाड़ लगाना और पश्चिमी क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लड लाईटिंग की व्यवस्था करना, पूर्वी सीमा के संवदन-शील क्षत्रों में सीमा सड़कों का निर्माण करना, घुसपैठियों/तस्करों के प्रवेश को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में रुकावटें पैदा करना, सीमा सुरक्षा बल इत्यादि के आसूचना तंट को सक्रिय बनाना शामिल है।

(घ) सीमा सुरक्षा बल और संबधित राज्य पुलिस बल घुसपैठ रोकने और